(600)

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
नारीबारी पब्लिक इण्टर कालेज
नारीबारी, (शंकरगढ़ रोड)
इलाहाबाद।

दिनांक : 30-7-2014

पत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / इ / 930

विषय : सीधे (कक्षा 9 व 10) / (कक्षा 6 से 10 तक) हाईस्कूल (नवीन) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था नारीबारी पब्लिक इण्टर कालेज, नारीबारी, (शंकरगढ़ रोड) इलाहाबाद को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष-2016 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ (वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा-7क(क) के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना, शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष, एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद को कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय, अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज-सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिए प्रबन्धाधिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

MANAGER
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj U.P.

PRINCIPAL
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरादायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एंव कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नही होगी।

(घ) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध 05 अन्य विशेष अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–11–2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किये जाने वाले क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होंगें।

टिप्पणी :– इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठाकंन संख्या : मा0शि0प0/मान्यता /इ/ दिनांक – 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद

2– सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद।

3– हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद, क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

4– सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, मुख्य कार्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

PRINCIPAL
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj

MANAGER
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रयागराज

पत्रांक /मान्यता/ 124-31 /2019-20 दिनांक 10 मार्च,2020

प्रबन्धक,

नारीबारी पब्लिक इण्टर कालेज

नारीबारी ,शंकरगढ़ रोड, प्रयागराज।

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली -2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध मे विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मै **नारीबारी पब्लिक इण्टर कालेज, नारीबारी ,शंकरगढ़ रोड, प्रयागराज को** दिनांक 01.04.2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा **प्राइमरी स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) (हिन्दी माध्यम)** के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान किया गया थी।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जाँच एवं संस्तुति के उपरान्त **कक्षा 1 से 5** तक की स्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं -

1. मान्यता के लिए मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और यह किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता /संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनीयम-2009 (उपाबंध 1)और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में उक्त कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास-पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधरा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ती किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटल शुल्क कर संग्रह नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत ना होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
   - i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
   - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
   - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
   - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्याथियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती हैं। परन्तु यह और भी विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं, पॅाच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।
   - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है, और
   - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

MANAGER
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj U.P.

PRINCIPAL
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट में विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:–

i. विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल –
ii. कुल निर्मित क्षेत्र –
iii. क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल –
iv. कक्षाओं की संख्या –
v. प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार के लिए कक्ष –
vi. बालक और बालिकायों के लिए पृथक शौचालय –
vii. पेयजल सुविधा –
viii. मिड डे मील पकाने के निए रसोई –
ix. बाधारहित पहुंच –
x. अध्यापन पठन सामग्री/ क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता –

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम –1860 (1860 का –21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति व्यक्तियों के समूह, या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **74** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारों के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाए!
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्ते।

भवदीय

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रयागराज

पृ0सं0/मान्यता/ ______ /2019–20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रयागराज़ मण्डल, प्रयागराज।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, शंकरगढ़, प्रयागराज।
4. कार्यालय गार्ड फाईल।

(संजय कुमार कुशवाहा)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
प्रयागराज

MANAGER
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj U.P.

PRINCIPAL
Naribari Public Inter College
Naribari, Prayagraj